न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—106/2016/225 (2016/00106)

1. श्रवणसिंह पुत्र रेमता, जाति रावत, निवासी श्रीनगर मजरा टील्या, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. लादू पुत्र सुखा,
2. बाबू पुत्र लादू,
3. रामचन्द्र पुत्र लादू,
4. राजू पुत्र लादू,
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम श्रीनगर बाडा मजरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
6. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 02.02.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 45/2015.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री शशिकांत जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 अनुपस्थित।
3. श्री गिरीश पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 02.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी, काश्तकारी की भूमि वाके मौजा मजरा टील्या श्रीनगर, तहसील नसीराबाद में स्थित है । वर्किंग जमाबंदी खसरा नबर 2136 रकबा 3—11—00 प्रार्थी के दादा कामड पुत्र लक्ष्मण कौम रावत के नाम नामांतकरण संख्या 956 से गैर खातेदारी के रूप में स्वीकृत करते हुए इंद्राज किया गया तथा उपरोक्त भूमि के गैर खातेदार कामड की मृत्यु हो गई तथा उसके वारिस पुत्र रेमता की भी मृत्यु हो गई जिसका वारिस प्रार्थी है तथा उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रार्थी के दादा की मृत्यु के उपरांत उसके वारिस प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग एवं राजस्व अधिकारियों ने अपने हक अधिकारों से परे जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 2028 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 2029 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 2030 रकबा 0.10 है0 भूमि को गैर कानूनी

रूप से विधिविरूद्ध तरीके से गलत एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया तथा हाल खसरा नंबर 2029 व 2030 को किस्म बारानी से किस्म गैर मुमकिन रास्ता गलत एवं त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया । इस गलत इंद्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा प्रार्थी को उनकी खातेदारी आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 2.2.2016 को प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 निरस्त कर पत्रावली वास्ते जवाब व शेष रेस्पो0 की तलबी हेतु दिनाक 10.3.2016 नियत की । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नंबर 2136 रकबा 3–11–00 प्रार्थी के दादा कामड़ के नाम नामांतकरण संख्या 956 से गैर खातेदारी दर्ज की गई थी तथा भूमि का खातेदारी का नामांतकरण प्रार्थी के नाम भरा गया जिससे प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर खातेदार काश्तकार होकर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा था परन्तु नामांतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किये जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में भूमि को बंदोबस्त विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया जिसकी आड़ में रेस्पो0 प्रार्थी की मौके फसल नष्ट करने एवं बेदखल करने पर आमादा है । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण दस्तावेजात एवं मौके की स्थिति को नजरअंदाज कर गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांट के पास वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है इसी कारण प्रार्थी को भूमि का नियमन किया गया था एवं गैर खातेदारी से खातेदारी का नामांतकरण भरा गया था । संपूर्ण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के बावजूद विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 6 के नाम गलत अंकित कर दी गई । अधी0न्याया0 को वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0 न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि नाकाबिल काश्त बरड़ा दर्ज होकर हाल राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 6 के नाम दर्ज है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 2136 रकबा 3–11–00 प्रार्थी के दादा कामड़ पुत्र लक्ष्मण कौम रावत के नाम नामांतकरण संख्या 956 से गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई थी । उक्त आराजी गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण

रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई । इस कारण अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी व बेदखल करने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर बहस न सुनकर प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 इस आधार पर खारिज किया है कि '' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 956 में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा दिनांक अंकित नहीं है। उक्त नामांतकरण गैर खातेदारी का है किन्तु ऐसा कोई आवंटन/नियमन आदेश पेश नहीं किया है । वर्किंग जमाबंदी में आराजी सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा साबित करने हेतु प्रार्थी ने कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किये है । हाल राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है एवं राजस्व रिकार्ड मं अप्रार्थी संख्या 6 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है जिसका जवाब आना शेष है तथा शेष अप्रार्थीगण की तलबी शेष है । प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया जाता है । पत्रावली वास्ते जवाब व शेष अप्रार्थीगण तलबी हेतु दिनांक 10.3.2016 को पेश हो । '' अधी0न्याया0 के इस आदेश से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें शेष अप्रार्थीगण की तलबी होकर अप्रार्थीगण का जवाब पेश होना है । अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्राप्त होने के उपरांत गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है न कि अंतिम आदेश। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एल0आर0/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत अपील संधारण योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अंतरिम आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.2.2016 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधी0न्याया0 को प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर